महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक

दिनांक

03 जून, 2020

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक दिनांक 03 जून, 2020 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. आर.पी. सिंह कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. नगेन्द्र सिंह (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3. प्रो. शिव दयाल सिंह (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4. प्रो. सुब्रतो दत्ता (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
5. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ **(ऑनलाईन उपस्थित हुए)** (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
6. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी, विधायक (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
7. श्रीमती मंजू देवी, विधायिका (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
8. डॉ. सुनीता पचोरी (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा की प्रतिनिधि)	सदस्य
9. श्री आर.एस. तंवर, संयुक्त सचिव-आयोजना (प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
10. श्री प्रदीप कुमार बोरड़, **(ऑनलाईन उपस्थित हुए)** निदेशक, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा	सदस्य
11. कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित अनुपस्थित रहे</u> :

1. डॉ.(श्रीमती) सीमा पाण्डे (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
2. सम्भागीय आयुक्त (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व श्रीमती शुचि शर्मा, सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार ने ऑनलाईन प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को सम्बोधित किया । उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को अनिवार्य रूप से सभी सैमेस्टर व वार्षिक कोर्स में विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकार से जोडने हेतु "आनन्दम" पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। विद्यार्थियों को, बिना परीक्षा क्रमोन्नत करने की माँग पर चर्चा करते हुए श्रीमती शुचि शर्मा ने कहा कि- हमारी शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, वर्ष के अन्त में होता है, जिससे विद्यार्थी वर्ष पर्यन्त तैयारी करने के बजाए वर्ष के अन्त में वन वीक सीरीज के माध्यम से परीक्षा की तैयारी करने में अधिक रूचि रखते हैं। इसी प्रवृत्ति से निजात दिलाने हेतु सैमेस्टर प्रणाली व क्रेडिट बेस्ड च्वॉइस सिस्टम (CBCS) को लागू किया गया है।

सम्बोधन के उपरान्त माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड की बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व लोकप्रिय एवं कर्मठ माननीय विधायक श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी एवं माननीय विधायिका श्रीमती मंजू देवी का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत सदस्यों का भी स्वागत किया एवं प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों का परिचय करवाया। तत्पश्चात् कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की 96वीं बैठक दिनांक 27.11.2019 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (96) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2019/21591-602 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की 94वीं बैठक दिनांक 30.06.2018 के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-I)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
मद सं. 3	प्रबन्ध बोर्ड की 95वीं बैठक दिनांक 23.08.2018 के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
मद सं. 4	विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नवीन पदों के सृजन पर होने वाले व्यय भार को वहन करने के संबंध में।	**संस्थापन**

निर्णय	**शिक्षकों के नवीन पदों के सृजन पर होने वाले व्यय भार को विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही शिक्षकों की संख्या एवं शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन से पड़ने वाले भार का विवरण तालिका तैयार कर राज्य सरकार को पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं 5	विश्वविद्यालय परिसर में गेस्ट फैकल्टी/कॉन्ट्रेक्ट फैकल्टी हेतु नियम एवं शर्ते तैयार करना।	**संस्थापन**
निर्णय	**AICTE, UGC एवं NCTE के नियमों के आधार पर पूर्व कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया । समिति अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।**	
मद सं 6	राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नियमों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त करना।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**राज्य सरकार के नियमों को प्रवृत्त मान्य करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं 7	प्रबन्ध अध्ययन विभाग, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के एम.बी.ए. कोर्स में प्रवेश राजस्थान मैनेजमेंट एडमिशन प्रोसेस (आरमेप) के माध्यम से केन्द्रीयकृत रूप से किया जा रहा है, जिससे विभाग को आवंटित 60 (साठ) सीटों पर प्रवेश करवाया जाता है । परन्तु उक्त साठ सीटों पर निम्न कारणों से विगत कुछ वर्षो से पूरी नहीं भरी जा सकी है:- 1. प्रवेश प्रक्रिया का लचर और देर से प्रारम्भ होकर जुलाई-अगस्त तक चलना जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी अन्यत्र प्रवेश ले लेते है । 2. प्रवेश देरी से होने पर शेष रहे विद्यार्थियों का प्रवेश होना, जो कि एम.बी.ए. को अंतिम अवसर के रूप में लेते है । 3. आरमेप में बहुत कम विद्यार्थियों के आवेदन की वजह से आवेदकों द्वारा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडिज (एफ.एम.एस) अजमेर को प्रथम या उच्च वरीयता देने पर भी ऐसे विद्यार्थियों को आरमेप द्वारा ऐसे अन्य संस्थानों को जहां विद्यार्थियों ने बहुत कम या कोई वरीयता नहीं दी थी आवंटित कर दिये जाते है । उक्त कारणों की वजह से ही मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अपने को आरमेप के माध्यम से होने वाले केन्द्रीयकृत एम.बी.ए. प्रवेश प्रक्रिया से अलग कर चुके है । उल्लेखनीय है कि ये दोनों ही विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की भांति राजस्थान राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय है । 4. राजस्थान के समस्त निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को आरमेप के माध्यम से केन्द्रीयकृत एम.बी.ए. प्रवेश में शामिल नहीं करने के	**प्रबन्ध अध्ययन विभाग**

	श्री किशन लाल पंवार, सुरक्षा प्रहरी के आश्रित पुत्र श्री सूरज पंवार को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)** 2. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 12.08.2018 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/ मदसविवि/2018/22858-864 दिनांक 11.09.2018 के द्वारा स्व0 श्री गोपाल सिंह सहायक कर्मचारी की आश्रित पत्नि श्रीमती रूबी देवी को सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)** 3. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 03.10.2018 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/ मदसविवि/2016/26991-98 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा स्व0 श्री किशोरी लाल मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी के आश्रित पुत्र श्री योगेश कुमार मीमरोट को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)** 4. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 03.10.2019 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/ मदसविवि/2019/13726-33 दिनांक 05.10.2019 के द्वारा स्व0 श्री ओमप्रकाश मण्डावरिया, सहायक अनुभागाधिकारी के आश्रित पुत्र श्री विकास मण्डावरिया को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)** 5. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 03.10.2019 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/ मदसविवि/2019/13735-42 दिनांक 05.10.2019 के द्वारा स्व. श्री राकेश भूषण, सहायक अनुभागाधिकारी के आश्रित पुत्र श्री अभिमन्यू भारद्वाज को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)** अनुकम्पा नियुक्तियों के दिये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशों के क्रम में जारी कार्यालय आदेश पुष्टि हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
	(2) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों 19 (18) के तहत परीक्षा सलाहाकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन कर दिया गया है । परीक्षा सलाहाकार समिति का कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-8)** पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	

	(3) <u>प्रतिवेदन है कि,,</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नलिखित आचार्यों को एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से आचार्य पद पर स्थाई किया गया:- प्रोफेसर अरविन्द पारीक आचार्य वनस्पतिशास्त्र-कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2017/3531 दिनांक 01-08-2017 द्वारा आचार्य-वनस्पतिशास्त्र एवं प्रोफेसर सुभाष चन्द्र आचार्य प्राणीशास्त्र- कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि /2017/3542 दिनांक 01-08-2017 द्वारा नियुक्ति पत्र (प्रति संलग्न) जारी किया जिसमें प्रथम बिन्दु पर निम्न Terms & Condition अंकित की:- The appointment is on probation for a period of twenty four months provided that in the case of employee having put in three years continuous service in any University or in any recognised/affiliated college, the period of probation on their being furnishing the requisite proof and certificates shall be reduced to twelve months only. **(प्रति संलग्न)** वित्त विभाग राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.12(6)एफडी रूल्स/2005 दिनांक 23.09.2014 तथा एफ.12(6) एफडी रूल्स/2005 दिनांक 23.09.2014 के द्वारा राजस्थान सर्विस (संशोधित) नियम 2014 निम्नानुसार संशोधन किया:- "Provided further that the Government may specify the posts higher than the entry post of the State Service where direct recruitment is permissible as per the provisions of relevant State Service Rules and where besides academic and professional qualifications, specific experience condition is also prescribed, on which the appointment will be made on 'probation' for a period of one year instead of as 'probationer trainee" "Provided further that a person who is directly recruited on a post higer then the initial post of the State Service for which besides academic/professional qualifications some experience has been prescribed, shall be on probation of one year and allowed the minimum pay of the post as prescribedin Schedule V appended to these rules. Provided further also that a Government servant who is already in regular service of the State Government, if appointed by direct recruitment on a post higher than the initial post of the State service on 'probation' of one year and the pay last drawn by him is higher than the minimum pay prescribed for the riew post, his pay will be fixed in the running pay bandof the new post at the equal stage with reference to the pay of the previous post and grade pay of the news post. उक्त Terms & Condition के अनुसार प्रोफेसर अरविन्द पारीक पूर्व में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में क्रमशः निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पर दिनांक 18.10.2011 से 04.08.2017 तक तथा 14 वर्ष का शिक्षण अनुभव एवं प्रोफेसर सुभाष चन्द्र निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पर दिनांक	संस्थापन

	08.02.2014 से 04.08.2017 तक तथा 12 वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर प्रोफेसर अरविन्द पारीक आचार्य वनस्पतिशास्त्र- कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/1173दिनांक 17-01-2019 द्वारा आचार्य-वनस्पतिशास्त्र एवं प्रोफेसर सुभाष चन्द्र आचार्य प्राणीशास्त्र-कार्यालयआदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/ 2018/1193 दिनांक 17-01-2019 द्वारा आचार्य पद पर स्थाई **(प्रति संलग्न)** किया गया। उपरोक्त आदेश प्रबंध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रकरण में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :-** **1. डॉ. बी.एम. शर्मा, पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा** **2. प्रो. सतीश राय, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, बनारस** **3. प्रो. सुब्रतो दत्ता, सदस्य- प्रबन्ध बोर्ड**	
मद सं. 11	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में परीक्षात्मक कार्यो में लगे हुए यथा-परीक्षा, गोपनीय, नामांकन, उपाधि इत्यादि अनुभागों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के शेष रहे अनुभागों/ विभागों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी दो माह के मूल वेतन (नये वेतनमान के अनुसार) के बराबर मानदेय/पारिश्रमिक दिया जाता है। (कार्यसूची का परिशिष्ठ-23) विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक संवर्ग में 335 पद स्वीकृत है जिसकी तुलना में वर्तमान में 260 अशैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है अर्थात वर्तमान में 75 पद रिक्त है । गत वर्षो में बडी संख्या में कर्मचारियों/ अधिकारियों के सेवानिवृत होने या दिवंगत होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है । अर्थात स्वीकृत 335 कार्मिकों की तुलना में 260 कार्मिकों को ही रिक्त पदों के हिस्से का कार्य अतिरिक्त प्रभार के रूप में कमोवेश करना होता है, जिस हेतु कार्मिकों को कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् तथा अवकाश के दिनों में भी विश्वविद्यालय के समस्त महत्वपूर्ण कार्यो को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से करना होता है, जिसके एवज में इन कार्मिकों को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय में भी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी शामिल करते हुए) जो कि परीक्षा, गोपनीय, नामांकन, रोकड़ प्राप्ति, उपाधि तथा पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग के अतिरिक्त शेष अनुभागों/विभागों में कार्यरत है, को दो माह (माह जुलाई के वेतन को आधार मानकर) के मूल वेतन (नये वेतनमान के अनुसार) के बराबर मानदेय के रूप में सत्र 2019-20 से दिये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। उक्त अंकित मद पूर्व में आयोजित प्रबंध बोर्ड की 96वीं बैठक दिनांक 27.11.2019 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसके निर्णयानुसार राजस्थान	**संस्थापन**

	के अन्य विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर उक्त के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी मांगी गई थी जो कि कोटा एवं बीकानेर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अप्राप्त है। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अपने कार्मिकों को उक्त लाभ प्रदान किया जा रहा है जिसके आधार पर इस विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को लाभ दिये जाने हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समस्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी शामिल करते हुए) जो छठे वेतनमान में वेतन ले रहे है उन्हे दो माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय तथा जो सातवें वेतनमान में वेतन ले रहे है उन्हें एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय अथवा उनके द्वारा किये गये वास्तविक कार्य हेतु देय मानदेय/पारिश्रमिक/ अधिभत्ता, जो भी अधिक हो, (माह जुलाई के वेतन के आधार पर) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 से किया जाये।**	
मद सं. 12	विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा, नामांकन, गोपनीय एवं उपाधि शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य यथा फार्म चैकिंग, उपाधि तैयार करना, पुनर्मूल्यांकन कार्य, स्क्रूटनी कार्य, सैलर कार्य आदि कार्यों को जॉब बेसिस का होने के कारण सीलिंग की सीमा 1.00 लाख रूपए से मुक्त किए जाने बाबत्। **<u>स्पष्टीकरण</u>** :- उपरोक्त सभी कार्य महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी के होने के कारण सम्बन्धित सीट पर पदस्थापित कार्मिक द्वारा एक नियत समय में सम्पूर्ण किये जाने होते हैं। कार्य ही जिम्मेवारी पदस्थापित व्यक्ति की होने तथा सम्बन्धित आगामी कार्य उपलब्ध स्टॉफ को ही करना होता है। कार्य महत्वपूर्ण/गोपनीय प्रकृति का होने के कारण अन्य अनुभाग के कार्मिकों से करवाया जाना संभव नहीं है। परीक्षा शाखा, नामांकन एवं गोपनीय शाखा में कार्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति होने एवं नवीन भर्ती नहीं होने के से एवं प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या वृद्धि होने से उपरोक्त अनुभागों में कार्यानुपात में स्टाफ नहीं है।	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यो को जॉब बेसिस आधारित मानते हुए राशि रूपये 1.00 लाख की सिलिंग से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 13	विश्वविद्यालय की परीक्षा वर्ष 2020 के परीक्षात्मक कार्य हेतु मैसर्स माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विसेज प्रा0लि0, अजमेर को विगत वर्ष की अनुमोदित दर के अतिरिक्त नियमानुसार देय जीएसटी के भुगतान किए जाने हेतु विचारार्थ मद।	**परीक्षा नियंत्रक**

	स्पष्टीकरण :- विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा, 2020 का कार्य Integrated University management system (IUMS) से परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया था। जिस हेतु खुली निविदा भी आमंत्रित की गयी थी। राज्यपाल सचिवालय में आयोजित कुलपति समन्वय समिति में यह निर्णय लिया गया कि फर्म से यह कार्य करवाने से पहले राज्य सरकार से इस पर सहमति प्राप्त कर ली जावे। विश्वविद्यालय की ओर से इस हेतु राज्य सरकार को पत्र भी भेजा गया उक्त प्रक्रिया माह नवम्बर, 2019 तक चली। चूंकि सीमित समयावधि होने के कारण परीक्षा, 2020 हेतु आवेदन पत्र भरवाया जाना अति आवश्यक थे अतः इस हेतु विगत वर्षो से कार्य कर रही फर्म मैसर्स माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विसेज प्रा0 लि0, अजमेर को कार्य देने हेतु पत्र क्रमांक 54375 दिनांक 05.12.2019 कार्यादेश दिया गया। विश्वविद्यालय की परीक्षा वर्ष 2020 के परीक्षात्मक (प्री एवं पोस्ट कंडक्ट) का कार्य करने के उक्त आदेश के प्रत्युत्तर में फर्म ने पत्र दिनांक 06.12.2019 द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि एवं जीएसटी अतिरिक्त देने को तैयार है तो फर्म कार्य करने को सहमत है। तत्पश्चात् फर्म द्वारा दिनांक 20.02.2020 को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय का प्री-कंडक्ट परीक्षा कार्य सम्पादित किया जा चुका है। फर्म द्वारा पुनः पत्र दिनांक 27.05.2020 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें फर्म द्वारा परीक्षा 2020 का प्री-वर्क सम्पन्न किये जाने एवं पोस्ट कंडक्ट कार्य जीएसटी के अभाव में सम्पन्न किए जाने में असमर्थता व्यक्त की। चूंकि फर्म द्वारा जीएसटी सरकार में जमा करवाया जा रहा है, इसके मध्यनजर फर्म को अनुमोदित दरों के अतिरिक्त नियमानुसार देय जीएसटी का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	
निर्णय	**अनुबंध (Contract) को रिव्यू किये जाने एवं पूरानी जी.एस.टी. का भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 14	विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ शिक्षकों, अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कुछ व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर इनकी नियुक्ति एवं कार्य पद्धति के क्रम में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसकी सूची निम्नानुसार है:- 1. प्रो0 बी0 पी0 सारस्वत 2. प्रो0 लक्ष्मी ठाकुर 3. प्रो0 शिवदयाल सिंह 4. प्रो0 सुभाष चन्द्र 5. प्रो0 अरविन्द पारीक 6. वित्त नियंत्रक/कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अतः प्रबंध बोर्ड के समक्ष उल्लेखित शिकायती प्रकरणों के निस्तारण हेतु मद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**

निर्णय	प्राप्त शिकायतों पर विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः- 1. <u>बिन्दु संख्या 01</u>:- 1) प्रो. बी.पी. सारस्वत के संबंध में प्राप्त शिकायत पर बोर्ड ने प्रो. सारस्वत के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2000 का अवलोकन किया । 2) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 24.11.2001 के निर्णय संख्या 03 का अवलोकन किया । 3) प्रो. बी.पी. सारस्वत की शिकायत कर्ता द्वारा उसके लैटरहैड पर जाली हस्ताक्षर से शिकायत की है, का पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया । उपरोक्त के आधार पर प्रो. बी.पी. सारस्वत के विरूद्ध प्राप्त शिकायत खारिज की गयी । 2. <u>बिन्दु संख्या 02</u> पर प्रो. लक्ष्मी ठाकुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर बोर्ड ने निर्णय किया कि कुलपति महोदय संबंधित तथ्यों का परीक्षण कर स्वयं निर्णय लेवें । 3. <u>बिन्दु संख्या 03</u> पर प्रो. शिवदयाल सिंह की शिकायत पर बोर्ड ने निर्णय किया कि कुलपति महोदय संबंधित तथ्यों का परीक्षण कर स्वयं निर्णय लेवें । 4. <u>बिन्दु संख्या 04 एवं 05</u> पर अंकित प्रो. सुभाष चन्द्र एवं प्रो. अरविन्द पारीक के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर प्रबन्ध बोर्ड ने प्रो. बी. एम.शर्मा, पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया । 5. <u>बिन्दु संख्या 06</u> पर वित्त नियंत्रक की शिकायत जो कर्मचारी संघ के द्वारा की गयी है पर जांच किन्ही सक्षम अधिकारी अथवा किन्हीं पूर्व कुलपति महोदय से कराने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया	
मद सं. 15	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विश्वविद्यालय कार्मिकों के आश्रितों के द्वारा जब परीक्षा आवेदन-पत्र भरा जाता है तो उनसे भी अन्य विद्यार्थियों की भांति निर्धारित शुल्क वसूला जाता है जबकि अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा कार्यरत कार्मिकों के आश्रितों से परीक्षा शुल्क के रूप में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता हे । अतः इस विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के आश्रितों को परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय परीक्षा शुल्क से मुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	सत्र 2020-21 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा हेतु कार्यरत कार्मिकों एवं उनके आश्रितों से परीक्षा शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया।	
मद सं. 16	विश्वविद्यालय कार्मिकों के विवादित पदोन्नति प्रकरण के निस्तारण हेतु गठित समिति के संयोजक डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ के समयाभाव के कारण बैठक	संस्थापन

	में उपलब्ध नहीं होने से समिति का संयोजक किसी अन्य को नियुक्त किया जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 96वीं बैठक दिनांक 27.11.2019 के निर्णय संख्या 09 पर गठित समिति के संयोजक डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ के स्थान पर प्रो. सुब्रतो दत्ता को समिति का संयोजक नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया । समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी**	
मद सं. 17	सहायक कुलसचिव एवं उप कुलसचिव पद हेतु जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 2816-2875 दिनांक 05.02.2020 में वांछित संशोधन करने पर विचार कर निर्णय करना।	**संस्थापन**
निर्णय	**कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 02.06.2020 में सहायक कुलसचिव की पात्रता में संशोधन हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः-** **1. प्रो. सुब्रतो दत्ता, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड - संयोजक** **2. श्री के.सी. टेलर, सेवानिवृत्त निदेश, कोष एवं लेखा - सदस्य** **3. उप कुलसचिव (संस्थापन) - सदस्य सचिव**	
मद सं. 18	विश्वविद्यालय के सेमेस्टर व स्नातकोत्तर स्तर के वार्षिक कोर्स में विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकार से जोडने हेतु "आनन्दम" पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू करने पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 19	ऐसे राजकीय एवं निजी महाविद्यालय जिनके संचालन को 05 वर्षों से अधिक हो चुके हैं, को स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार कर निर्णय करना।	
निर्णय	**विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जो राजकीय महाविद्यालय पिछले पाँच वर्षो से संचालित है, उन्हें स्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कुलपति महोदय नियमानुसार उन्हें स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लेंगे। इसी प्रकार ऐसे निजी महाविद्यालय जो विगत पांच वर्षो से संचालित है उन महाविद्यालयों के स्थायी सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का नियमान्तर्गत परीक्षण करवाकर जो मापदण्ड पूरे करेंगे, उनके निरीक्षण, निरीक्षणकर्ता दल से करवाकर प्राप्त रिपोर्ट की अनुशंषा एवं गुणावगुण के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।**	**शैक्षणिक-II**

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव